



RAF SECTOR

NEWS CLIP

10/11/19



TO SERVE HUMANITY WITH SENSITIVE POLICING

Dainik Jagran , Ayodhya (UP)

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

इंतजार खत्म : पांच जजों की संविधान पीठ सुबह 10:30 बजे सुनाएगी फैसला, प्रदेश में स्कूल-कॉलेज 12 तक बंद

रवि वैश्या • अयोध्या

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाने को फैसला सुनाने में सुबह सुबह 10 बजे फैसला सुनाए जाने की संभावना है। प्रधान न्यायाधीश नरान सिंग को अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस फैसला सुनाने के सत्र में सुप्रीम कोर्ट की संसदघर में सुनाएगा।



सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का आज की फैसला सुनाए जायेगा। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ इस फैसला सुनाने के सत्र में सुप्रीम कोर्ट की संसदघर में सुनाएगा।

सिंह बंदी, अयोध्या



सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

छावनी बनी अयोध्या, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

स्वागत... इतिहास के नए अध्याय

अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संभावना पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सियासत भी गा रही सद्भाव का तराना

पवीण तिवारी • अयोध्या

अयोध्या मामले पर सबसे बड़े फैसले की घड़ी आखिरकार आ ही गई। खास बात यह है कि इन समय रामनगरी की फिजां बदली-बदली सी है। कभी यौमे गम और शौर्य दिवस के आयोजनों में शरीक होने वाले सियासतदां मंदिर-मस्जिद विवाद पर आने वाले सुप्रीम फैसले की घड़ी में गंगा-जमुनी तहजीब के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। रामनगरी में ये नेता भाईचारे को कायम रखने की अलख जगा रहे हैं। भाजपा के अतिरिक्त सपा, कांग्रेस, बसपा के नेता भी शामिल हैं। लोगों को धैर्य, संयम व सद्भाव की सीख दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को इस पूरे मामले की संवेदनशीलता से परिचित कराना नहीं भूल रहे। कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा के तमाम नेता स्थानीय स्तर पर लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए समझा रहे हैं।

संघ परिवार लगा रहा जोर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सद्भाव की मुहिम दीपोत्सव के आसपास से ही शुरू कर दी थी। सहयोगी संगठनों की बैठक में फैसले पर रोष व जश्न न मनाने का संदेश दिया गया। भाजपा ने गुरुवार को भी जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की।



अयोध्या में गश्त करते आरएएफ के जवान • एएफपी

हाईअलर्ट: 14 जोन और 56 सेक्टर में बांटा शहर

सुरक्षा के लिए तीन सुपर जोन भी बनाए, मजिस्ट्रेट तैनात, फैसला आने से पहले अधिकारियों ने बनाया प्लान

जगरण सबाददाता, कानपुर: अयोध्या पर न्यायलय का फैसला आने से पहले अधिकारियों ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया। पूरे शहर को तीन सुपरजोन, 14 जोन व 56 सेक्टर में बांटा गया है। सुपर जोन की सुरक्षा एसपी व एडोएम स्तर के अधिकारी, जोन की सुरक्षा सीओ व एसडीएम स्तर के अधिकारी और सेक्टर में मजिस्ट्रेट व दारोगा फोर्स संग तैनात होंगे। इसके साथ ही पुलिस ने शहर में 756 लोगों को चिन्हित किया है, जिनसे शक्ति व्यवस्था को खतरा है। उन सभी को दो लाख से पांच लाख रुपये तक की मुचलक्या गारंटी से पारबंद किया गया है। फैसला आने के बाद कई लोगों को नजरबंद भी किया जाएगा।



अयोध्या पर फैसले की खबर आने के बाद रूतमार्ग करते पुलिस व अररएफ के अधिकारी। जगरण

बाजार में खरीदारी करने लोग। जगरण

एडीएम-एसडीएम ने भी चलाए टीयर व स्मोक गैस

यह होंगी फोर्स	
एसपी	06
सीओ	15
इसपीक्टर	70
दारोगा	400
सिपाही	5000
पीएसबी	दो कंपनी
अररएफ	एक कंपनी
सिबिल डिफेंस	2000
एस-10 सदस्य	5000
क्यूआरटी	100
रूपटॉप इव्यूटी	1000

जगरण सबाददाता, कानपुर: अयोध्या प्रकरण में कोर्ट का फैसला आने से पहले ही फोर्स ने संवेदनशील स्थानों को अपनी निगरानी में ले लिया है। शासन के निर्देश पर शुक्रवार मुबह अधिकारियों ने दंगा नियंत्रण डिल का भी आयोजन कर हथियारों और उपकरणों की उपलब्धता और उनके संचालन को वारंटियों से एक दूसरे को अवगत कराया। एडोएम, एसडीएम आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी टीयर व स्मोक गैस गन चलाई और बलवै में आने वाली दिक्कतों का समाधान पूछा। शुक्रवार को पुलिस लाइन का नजरा कुछ अलग था। केवल पुलिस लाइन के

अति संवेदनशील मोहल्लों में फ्लैगमार्च

शाम को पूरे शहर में विभिन्न किए गए 204 अति संवेदनशील मोहल्लों व मजूरों में अधिकारियों ने फोर्स के साथ पैदल गश्त व फ्लैग मार्च कर जनता से सौहार्द की अपील की। सीओ स्वरूपनगर ने जगद्वारा व काकादेव में भ्रमण कर सभी धर्म के लोगों से वार्ता

की। फौलखाना पुलिस ने पटकापुर, रामनारायण बाजार और बिरलाना रोड पर, अनवरराज पुलिस ने कुलीबाजार, लट्ठूरा रोड, बासमंडी आदि स्थानों पर गश्त की। एसपी पूरबी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि कई स्थानों पर पुलिस की थिफेट भी लगाई गई है।

व पुलिस अधिकारियों को हथियारों के संचालन कराया। एडोएम सिटी विवेक अलावा एसडीएम और अनु गैम व स्मोक गैस मोहल्ला अधिकारियों प्लास्टिक पैलेट और एक्सन गन चलाई। एमपी सिंह ने अति संवेदनशील मोहल्लों में फ्लैगमार्च करवाया। इसमें प्रशासनिक

एडीजी प्रेम प्रकाश और आइजी मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को रोज दफ्तर में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को समीक्षा की। इसके बाद युवतपुर, मैदान नगर आदि स्थानों पर भ्रमण कर जनता से वार्ता कर माहौल बेहतर बनाने के लिए कहा। उन्होंने मित्रित आकर्टी वाले इलाकों में घर्षस्थलों की सुरक्षा के लिए स्थानीय कमेटो भी बनवाई हैं। जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। साथ ही सभी अधिकारियों व थानेदारों को लगातार बैठकें, चौपालें आयोजित करने के लिए कहा। एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि जिलों में पर्याप्त फोर्स है। सभी लोग अलर्ट हों और जनता के बीच रहकर माहौल बेहतर बनाने को कोशिश करते रहें। कोर्ट का फैसला आने के बाद एक स्थान पर भौड़ न जुटने दें। पान की दुकानों, चाय के हॉटलों आदि पर भी लोग एकजुट न होने पाएँ। आइजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि कानपुर शहर में एक कंपनी अररएफ और दो कंपनी पीएसबी भी तैनात की गई है। 204 संवेदनशील स्थानों पर फोर्स के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए थानेदार सिपाहों तैनात किए गए हैं।

बाजारों में रहा उत्साह, खरीदारी करने निकले लोग

शहर के बाजारों में आम दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को भी उत्साह दिखा। नई सड़क, बैंकनगर, मूलनगर, मेरदन रोड, हलसी रोड आदि स्थानों पर देर रात तक लोगों ने खरीदारी भी की। देर रात तक बाजारों में बहुत पहल रही। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक रोजाना की भांति दुकान पर आए और खरीदारी करके अपने घरों को लौटने में किसी भी प्रकार की कोई

सौहार्द का वातावरण बनाए रखेंगे

जगरण सबाददाता, कानपुर: हम गांधी को मानने वाले हैं। शहर में सौहार्द का वातावरण खराब नहीं होने देगे फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चाहे जो भी हो। शुक्रवार को सतीचैव स्थित महेश विद्या मंदिर इंटर कालेज में आयोजित परिचर्चा में खादी ग्रामोद्योग महासंघ उज के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने यह बात कही।

अपरिग्रह, शारीरिक श्रम आदि को माना है। गांधीवादी केके अवस्थी ने कहा कि गांधी जी ने सदैव हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को मिलजुलकर रहने को सीख दौ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने पर हम सब मिलकर उनकी सोच पर अमल करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदंबा भाई संचालन विद्या भाई ने किया। मुन्ना सिंह चौहान, संजय



150 वीं जन्म जयंती वर्ष में 'द्वितीय पखिर्वा' गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के



शहर में दिखा अमन चैन, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

जमशेदपुर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आते ही शहरवासियों में हर्ष व्याप्त हो गया। इस फैसले का सभी समुदाय के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। इसको लेकर लोगों में आपसी सौहार्द दिखाया। इधर, एहतियात के तौर पर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थानों पर अर्द्ध सैनिक बल और जिला पुलिस के जवान तैनात थे। वक्र वाहन भी मुस्तेद थे। डीसी रविशंकर शुक्ला और एसएसपी अनूप बिहारी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए थे।



साकची: जवानों ने शांति व्यवस्था के लिए किया फ्लैग मार्च



प्रशासन ने कहा - भयमुक्त होकर रहें, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम, किसी भी दिक्कत पर तुरंत दें पुलिस को सूचना

प्रशासन ने सुरक्षा का दिया भरोसा

बैठक में डीसी व एसएसपी ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज जुलूस निकलाना चाहता है, तो प्रशासन उन्हें पूर्ण सुरक्षा देगा। हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। भीड़ में अगर असांभालिक तत्व घुस कर किसी तरह का विचार कर दें तो बीम की बदकामी के साथ शहर की शांति भी प्रभावित हो सकती है।

सुरक्षा व्यवस्था यथावत बनी रहेगी

जुलूस नहीं निकलाने को मुस्लिम समाज की घोषणा के बाद भी रविशंकर को शहर में सुरक्षा के इंतजाम पूर्ण घोषित स्तर पर रहेंगे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस व दहशतवादी की तैनाती रहेगी। सड़कों पर पुलिस की गश्त भी तयारुदा कार्यक्रम के तहत होगी। जिस स्थान पर दोनों समुदाय के लोग हैं वहां सुरक्षा के इंतजाम सोमवार तक बहाल रहेंगे।

मानगो: हनुमान मंदिर चौक पर जायजा लेते डीसी-एसएसपी



डीसी-एसएसपी ने मानगो समेत कई क्षेत्रों का दौरा कर प्रबुद्ध लोगों से की मुलाकात

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहर में शांति, भाईचारा और अमन का पैगाम दिया। रविशंकर को जनजीवन सामान्य रहा। स्कूल खुले रहे, चर्क, मील में आम दिनों की तरह लग रहे। धार्मिक स्थलों को साज-सज्जा ने भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। मिट्टी में दीयों से आकर्षक सजावट के बीच विशेष पूजा-अर्चना हुई। वहीं, ईद मिलादुन्नबी को लेकर मुस्लिमों को भी खूबसूरत सजावट की गई। गुरु पर्व को लेकर जागम गुरुद्वारे आपसी सौहार्द और शांति का संदेश दे रहे हैं। तब, फैसले को लेकर शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए शहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

रवीम अहले सुलत को बैटक हुई थी, जिसमें ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकलाने का फैसला किया गया है। बैटक के बाद तंजोम के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को अपने फैसले को जल्दकारी दी है। मुस्लिम समाज ने अपनी परिष्कलता का परिचय दिया है। शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करने वालों का स्वागत है। प्रशासनिक इंतजाम बाकवर रहेगा। - रविशंकर शुक्ला, डीसी, एवं मिहनु

ईद मिलादुन्नबी पर सामाज के लोगों ने दिया अमन-चैन का पैगाम, कोर्ट के फैसले का तहेदिल से किया स्वागत



डीसी-एसएसपी से बात करते उलेमा

समाज की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस अवसर पर मानगो गांधी मैदान, साकची आम बागान व धातकीडीह में मंच का निर्माण भी नहीं होगा। धातकीडीह मकर परिसर में बैटक के बाद संस्था के पदाधिकारियों ने डीसी को भेष कर मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद डीसी आँफिस में उन्हें तत्काल बुलाया गया। मुलाकात के दौरान डीसी-एसएसपी ने उन्हें पर्यटन सुरक्षा की भरोसा दिया, लेकिन संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि अमन-चैन के लिए ऐसा करना जरूरी है। बैठक में मुफ्ती जियायुल मुस्तफा, मोतीउर रहमान, छाजी अब्दुल रउफ, हिदायतुल्ला खान, आजमी अदि मौजूद रहे।

जुलूस के आयोजन की अनुमति सशर्त दी गई थी। मुस्लिम समाज ने जुलूस नहीं निकलाने का फैसला किया है। रविवार को तंजोम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मिलाव पेश की है। मिस्जिदों और उसके आसपास के इलाकों में जुलूस निकलाने, प्रशासन को और से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षाबलों की तैनाती अभी जारी रहेगी। - अनूप बिहारी, एसएसपी



टाटानगर स्टेशन व बस स्टैंड में सतर्कता बढ़ी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : अयोध्या जन्मभूमि मामले में फैसला आने के बाद टाटानगर स्टेशन व मानगो बस स्टैंड की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यहां फोर्स तैनात कर दी गई है। जवान आने-जाने वालों की हर हरकत को तुरंत नोटिस कर रहे हैं। प्लेटफार्म पर 10 मिनट से अधिक खड़े होने वाले लोगों को खदेड़ा जा रहा है।

मानगो बस स्टैंड में जिला पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। जबकि टाटानगर स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्म में जीआरपी व आरपीएफ के जवान टाटानगर में प्रवेश करने वाले सभी द्वार पर तैनात थे। यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल पर नजर रखी जा रही थी। ताकि किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट कोई न कर पाए।



शनिवार को साकची में गश्त करते पुलिस जवान • जागरण

टाटानगर स्टेशन में चल रहे रेलवे का वाई फाई भी स्लो चल रहा था कहीं कहीं वाई-फाई चल ही नहीं रहा था, जिससे

यात्री भी परेशान रहे। वाई फाई की स्पीड कम होने के कारण कई यात्रियों ने खुद का डाटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

स्टेशन परिसर में खड़े रहने पर लगी थी पाबंदी

टाटानगर स्टेशन के प्लेटफार्म के बाहर स्टेशन परिसर में महिला या पुरुष कोई भी व्यक्ति दस मिनट से ज्यादा एक स्थान पर या उसके आस पास फटकते हुए नजर आ रहा था तो तुरंत पुलिस उसके पास जाकर उससे पूछताछ कर रही थी और उसे स्टेशन परिसर से जाने का निर्देश दे रही थी। शनिवार की सुबह मॉडल इंजन के पास एक कार लगी हुई थी और उस कार के बाहर एक महिला काफी देर से खड़ी थी। जिसको देखकर तुरंत पुलिस वहां पहुंची और महिला को तुरंत वहां से हटने को कहा।

चप्पे-चप्पे पर चौकसी के बीच चहल-पहल

अयोध्या विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच स्थिति सामान्य रही। बाजार खुले रहे और चहल-पहल भी पहले जैसी ही रही। शहर के स्कूल भी पूर्ववत् खुले रहे। स्टेशन, बस स्टैंड में भी आम दिनों की तरह यात्रियों की भीड़ रही। टैंपो और सिटी बसें भी चलती रहीं। शहरवासियों ने फैसले का स्वागत करते हुए धैर्य और सौहार्द का परिचय दिया।

008

कंपनी फोर्स तैनात रही पूरे शहरी इलाके में

042

जगहों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया था चिह्नित

021

पीसीआर वैन को प्रमुख चौराहों पर किया गया था तैनात



जमशेदपुर | हिन्दुस्तान टॉम

शहर में चप्पे-चप्पे पर फोर्स को तैनात किया गया था। पूरे शहरी इलाके में 8 कंपनी फोर्स को तैनात किया गया था। इससे पहले सुबह में पुलिस कंट्रोल रूम में फोर्स को ब्रीफिंग एसएसपी अनूप बिरबारे ने की। उनके साथ सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट व अन्य डीएसपी भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि यदि किसी ने कोई गड़बड़ी की तो सख्ती से निपटा जाए।

पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया था कि वे जहां ड्यूटी पर रहेंगे, उस इलाके में लगातार गश्त करते रहेंगे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी अनूप बिरबारे एक साथ तीन वाहनों के कॉफिले में हर तरफ घूम रहे थे। इससे अलग सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट अपनी टीम के साथ उन संवेदनशील स्थानों पर जाकर नजर रखे हुए थे, जहां पहले माहौल बिगड़ चुका है।

जमशेदपुर ने दिवा अमन का पैगाम : अयोध्या पर आए फैसले के बाद शहर के हर व्यक्ति ने अमन का पैगाम दिया। बस इसका एक उदाहरण था कि अदालत का फैसला सर्वोपरि है और वह शहर उसका सम्मान करता है। यात्री वाहन आम दिनों की तरह ही चल रहे थे।

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

सोशल साइट पर आठ टीमों द्वारा निगरानी की जा रही है। इस दौरान फेसबुक पर भी नजर है और पुलिस के पास ऐसे 250 पेज की सूची है, जिनपर कुछ भी लिखकर पोस्ट करने सम्प्रदायिक बातों को लिखने की सुचना मिलती थी। फेसबुक की मॉनिटरिंग जिला पुलिस की दो टीम कर रही है।

आपतिजनक पोस्ट पर कार्रवाई होगी : इधर, एसएसपी अनूप बिरबारे ने दोबारा कहा कि सोशल साइट पर आपतिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इधर, फेसबुक पर पोस्ट करने पर मुस्लिम लोग के नेता मंजर आलम को मानगो पुलिस ने तलब किया। उन्होंने पोस्ट किया था कि जो जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है, उस जमीन को मुसलमान अपने पैसों से भी खरीद सकते हैं। इसपर पुलिस ने मंजर आलम को थाना हुनुया और वेतादनी देकर छोड़ दिया।

107 कैमरों से नजर : पुलिस नियंत्रण कक्ष में 107 सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण पुलिस कंट्रोल रूम के मॉनिटर सेल द्वारा किया जा रहा था। सतर्कता इतनी थी कि मानगो चौक के पास कुछ लोगों की भीड़ लगते देखकर तुरंत कंट्रोलर ने पीसीआर वैन को भेजा।



अयोध्या पर फैसला आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का डीसी-एसएसपी तणातर जायजा लेते रहे। साठवीं गोलचक्र पर जवानों को निर्देश देते डीसी और एसएसपी।

सुबह से ही रैफ ने मानगो को ले लिया कब्जे में

जमशेदपुर। मानगो में सुबह आठ बजे से ही फोर्स को तैनाती कर दिया गया था। आठ बजे से पहले यहां इंडियन रिजर्व बटालियन के जवानों को उतारा गया था।

इन्हें मानगो धाना रोड स्थित दो धार्मिक स्थलों मानगो बड़ा हनुमान मंदिर और बारी मस्जिद के पास तैनात किया गया था। आईआरवी की टीम को मानगो मुंगी मोहल्ला स्थित मस्जिद के निकट और पोस्टऑफिस रोड में भी तैनात किया गया था। जैसे ही फैसला आया, तुरंत रैफिड एक्शन फोर्स की टीम जैली

वर्दी में बज्र वाहन के साथ यहां पहुंच गयी। मंदिर के सामने रैफ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया और घेराबंदी कर खड़ी हो गयी। यहां रैफ की तीन क्वार्टरटी पहुंची हुई थी। हनुमान मंदिर के निकट महिला फोर्स को भी तैनात किया गया था। यहां मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसी तरह दूसरी टीम बारी मस्जिद के पास मौजूद थी।



मानगो के धिमाना रोड में शनिवार की सुबह स्कूल जाती छात्राएं।

Punjab Kesari (Delhi)



पुलिस ने सुरक्षा बटवस्तों के बिना पैदल मार्च करने हुए पुलिस और जनरल के जवानों (दा.) जम्मु में रॉयल एस्कॉट फोर्स के जवानों ने शनिवार को सुरक्षा के लिए पैदल मार्च आयोजित किया। (एजेंडा : पीट)


पाबंदियां हटाई जाएं : इमरान खान अयोध्या मामले पर पाकिस्तान

Rajasthan Patrika (Gujarat)



अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर शनिवार को अइमदाबाद सहित गुजरात पूरी तरह शांत दिखी। हालांकि एहतिवादन शहर के सविदेनशील इलाकों में पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों ने गश्त लगाया।

Nav Bharat Times (Delhi)



मुंबई में मस्जिदों के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात रही।

पुलिस-प्रशासन पास, जनता का मिला साथ

चप्पे-चप्पे पर जवान, सड़क पर अधिकारी, आसमान से हुई निगरानी, फैसला आने से पहले ही शहर के हर क्षेत्रों में शुरु हो गया था पैदल मार्च

माई सिटी रिपोर्टर

कानपुर। पुलिस प्रशासन देश के सबसे बड़े फैसले पर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो गया। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद शहर में शांति और भाईचारा कायम रहा। शहर में चप्पे पर पुलिस, पीएसपी और अर्द्धसैनिक बल के जवान फैसला आने के पहले मार्च करते रहे। दूसरी तरफ डीएम, एडोबी, आईजी और एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत करते रहे। आसमान से ड्रोन और एरो स्टेज से निगरानी हुई।

शहर में छह एसपी, 15 डिप्टी एसपी, 70 इन्स्पेक्टर, 400 दरोगा, 5000 सिपाही, दो कंपनी पीएसपी, एक कंपनी आरएफ और सिविल डिफेंस के दो हजार सदस्यों ने मोर्चा संभाला। 14 जून व 52 सेंक्टर के प्रभारियों ने सुबह आठ बजे से ही मार्च शुरु कर दिया। एडोबी प्रेम प्रकाश बड़ा चौराहा होते हुए परेड, कलक्टरगंज, घंटाघर और डीएम विजय विश्वास पंत व एसएसपी अनंत देव लगभग पूरे शहर में हालातों का जायजा लेते रहे। आईजी मोहित अग्रवाल कल्याणपुर क्षेत्र में सक्रिय रहे। सभी ने लोगों से बातचीत कर सौहार्द की अपील की।



रावतपुर स्थित श्रीरामलला मंदिर के प्रांगण में देर शाम उपस्थित लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील करने पहुंचे डीएम विजय विश्वास पंत, आईजी मोहित अग्रवाल, कमिश्नर एसएम बोबडे व एसएसपी अनंतदेव (दाएं से बाएं)। अमर उजाला



नई सड़क पर रुट मार्च करते एडीएम सिटी विवेक कुमार श्रीवास्तव, एडीजी प्रेम प्रकाश, एसपी ईस्ट राजकुमार अग्रवाल (बाएं से दाएं) साथ में पुलिस, पीएसपी व आरएफ जवान। अमर उजाला



शाही नगर पाल बस्ती में एस 10 व सिविल डिफेंस मुस्तैद रहा। अब्दुल सलाम जाफरी, सुरेश पाल, प्रवीण कुमार झा, प्रवीण मिश्र, विवेक रावत, राहुल मिश्र, धीरेन्द्र चक आदि थे। उप विधेयक कर्मीर सिंह सभी वार्डन से रिपोर्ट लेते रहे।

जनता ने भी पूरा सहयोग दिया।

एरो स्टेज की नजर से कोई नहीं बचा: आईआईटी द्वारा बनाए गए एरो स्टेज से शहर की निगरानी हो रही थी। एडोबी प्रेम प्रकाश, एसएसपी अनंत देव, एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल समेत अन्य अधिकारियों ने एकता चौकी पर बनाए गए कंट्रोल रूम के कई चक्कर लगाए। तस्वीरें और वीडियो देखे।

माहौल को भांपा

शहर में एस-10 के करीब पांच हजार सदस्य हैं। एसएसपी पिछले एक महीने से ट्रेनिंग-निर्देश दे रहे। एस-10 के सदस्यों ने हर छोटी बड़ी बातों को अधिकारियों से साझा किया। इससे पुलिस ने किसी भी स्थिति को तुरंत भांप लिया और उस पर कार्रवाई की।

कहीं कोई अराजकता नहीं

प्रदेह पर में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट आदि करने में 70 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसएसपी अनंत देव ने बताया कि शहर में ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। वहीं, सुबह से शाम तक डीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम शहर में टोलियां बनकर घूमती रही। डीएम ने बताया कि पूरे दिन सभी ने मिलकर शहर में अमन चैन कायम रखने को लेकर प्रयास किया। शाम को रावतपुर स्थित रामलला मंदिर और सैयद नगर में मार्च किया गया।

छतों से निगरानी

शहर में 204 संवेदनशील जगहों को चिल्ला कर गणना की गई थी। खासतौर पर स्ट्रीट लाइटों की लैंपों को रखा गया। वहीं 1000 जवानों को शहर के अलग-अलग इलाकों में वृत्तों पर तैनात किया गया था।

सख्ती

दो पार्षद, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी देर शाम तक रहे नजरबंद

पचास से अधिक लोग घरों में किए गए नजरबंद

माई सिटी रिपोर्टर

कानपुर। अयोध्या फैसला के मद्देनजर पुलिस ने शहर में दो पार्षद समेत 50 से अधिक लोगों को उनके ही घरों में नजरबंद रखा। शुक्रवार रात से ही इनकी गतिविधियों पर खुफिया विभाग व पुलिस की नजर रही। नजरबंद किए गए लोगों में कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं। इनके घरों के आसपास भी कड़ा पहरा रहा।

पुलिस ने शहर में 50 से अधिक ऐसे लोगों को चिह्नित किया था, जिनसे गड़बड़ी की आशंका थी। इनके मोबाइल नंबरों को भी सर्विलांस पर लगाया गया था। शुक्रवार रात नौ बजे जब पता चला कि शनिवार को फैसला आएगा तो पुलिस, प्रशासन व एलआईयू ने सभी को उनके ही घर में देर शाम तक नजरबंद रखा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी।



सुरक्षा के तहत परेड चौराहे पर लगी महिला आरएएफ। संवाद न्यूज एजेंसी

पटाखे फोड़ने पर पहुंचा फोर्स

■ फैसला आने के कुछ देर बाद बर्रा और कल्याणपुर क्षेत्र में एक दो पटाखे फोड़े गए। बर्रा में एसपी साउथ रवीना त्यागी और कल्याणपुर में एसपी पश्चिम, सीओ कल्याणपुर अजय कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद एनाउंस करवाकर बताया गया कि पटाखे फोड़ने व जुलूस निकालने पर रोक है।

मिठाई बांटने पर रोका

■ शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ लोग मिठाइयां बांटकर फैसले का स्वागत करते नजर आए। जानकारी होने पर पुलिस बल पहुंचा और उनको बताया कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर मिठाइयां आदि बांटने की इजाजत नहीं है। इससे लोग अपने-अपने घरों में चले गए। इसके अलावा दर्जनों लोग उत्साह में सड़कों पर हूटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया।

“पुलिस, पीएसपी, अर्द्धसैनिक बल के साथ एलआईयू आदि शहर में गश्त कर रही है। जिन लोगों को चिह्नित किया गया है उनकी निगरानी की जा रही है। अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर किसी ने कानून हाथ में लेने का प्रयास तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। -अनंत देव, एसएसपी

टीवी पर रही नजर

■ शनिवार को जाम से लोगों को नहीं जूझना पड़ा। साउथ सिटी में जिन चौराहों पर अक्सर घंटों जाम लगता था, शनिवार को वाहन दौड़ते नजर आए। बर्रा, गुजैनी, गोविंदनगर, नौबस्ता, किदवईनगर, दबौली व करही आदि जगहों पर अन्य दिनों की अपेक्षा कम चहल-पहल नजर आई। बाजार और खानपान की दुकानें खुलीं। अयोध्या फैसला आने के बाद अचानक इंटरनेट की स्पीड धम गई।

चप्पे-चप्पे पर फोर्स, प्रेम-सद्भाव को अपाल

सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर गश्त पर निकले अफसर, मिश्रित आबादी वाले इलाकों में लिया माहौल का जायजा

जागरण संवाददाता, कानपुर : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पदेनजर शनिवार सुबह से ही पूरे शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का सख्त पांव रखा। कैमरों की मदद से प्रमुख चौकदारों से लेकर घुबने शहर व बाजारों की तंग गलियों तक नजर रखी गई। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में एडीजी प्रेम प्रकाश, आइजी मोहित अग्रवाल, डीएम विजय विश्वास पंत और एसएसपी अनंत देव ने लोगों से वार्ता कर माहौल का जायजा लिया। अधिकारियों ने 14 जून और 56 सेक्टर में बंदूक सूरक्षा का जो प्लान बनाया था, वह सुक्रुवर देर रात से ही लागू कर दिया गया था। शनिवार सुबह जब लोग उठे तो उन्हें हस्तों के किनारे, बाजारों में और धर्मस्थलों के आसपास पुलिस का सख्त पांव दिखा। अनवरतज के कुलीबाजार, मूलगंज, नई सड़क, लाट्स रोड, बिकनगंज, प्रेमनगर समेत 204 स्थानों पर स्थायी रिफ्लेक्ट तैनात रही। सुबह साढ़े 10 बजे से जिले भर के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए और गश्त कर लोगों से प्रेम-सद्भाव को अपील करते रहे। एडीजी प्रेम प्रकाश ने एसपी पूर्वी, एसपी ज्योतिष व सभी वर्गों के लोगों के साथ फोटोवार्ता, माल रोड, एकता चौकी, सद्भावना चौक, नई सड़क व हलसी रोड जैसे हुए घंटायर तक मार्च किया। आइजी मोहित अग्रवाल ने बर्रा, नौबस्ता, घाघपुरवा आदि इलाकों में आरएफ व पीएस के साथ रूटपाथ किया। वहीं, डीएम, एसएसपी ने फोटोवार्ता, मूलगंज, मेस्टन रोड, अनवरतज, बिकनगंज, लाट्स रोड आदि इलाकों में भ्रमण किया। सभी अधिकारी हस्तों में रुक-रुककर वार्ताओं, मोहल्ले के लोगों से भी बात करते रहे।



अयोध्या फैसले के मद्देनजर नई सड़क पर गश्त करते आरएफ के जवान • जागरण

कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन और बसों में सफर

जागरण संवाददाता, कानपुर : सेंट्रल स्टेशन और बस स्टेशन में अयोध्या मामले पर फैसले के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सेंट्रल स्टेशन पर स्टेशन डायरेक्टर हिमांशु शेखर उपाध्याय के नेतृत्व में दिन भर जीआरपी व आरपीएफ ने चौकिस अभियान चलाया।

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त आरएन पांडेव, जीआरपी प्रभारी पीके ओझा व जीआरपी इंस्पेक्टर राम मोहन राय की टीम ने सुरक्षा के लिए विशेष प्लान तैयार किया था। छावनी की ओर गेट नंबर एक एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया जबकि अन्य तनों गेटों

पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। इसी तरह से शहर की ओर से केवल एक गेट से प्रवेश दिया गया। स्टेशन में प्रवेश के सभी चोर दरवाजों को बंद कर दिया गया था। दिन भर डॉंग स्क्वाड के साथ अधिकारी चौकिस में व्यस्त रहे। दूर-दूर तक नजर रखने के लिए दूरबीन के साथ सुरक्षा

कर्मचारियों को तैनात किया गया था। हालांकि इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर फैसले को लेकर कोई तनाव नहीं था। योजना की तरह प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ थी और लोग बेचड़क सफर कर रहे थे। कमोबेश ऐसे ही हालात रोडवेज बस स्टैंड के थे।

एयरस्टेट और डोन कैमरों से भी रखी गई नजर

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24 चौकदार पर लगे कैमरों, परेड मल्टीलेवल पार्किंग में लगे आइडिआइटी के एयरस्टेट और आइटीएमएस (एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली) के कैमरों के साथ ही डोन कैमरों से भी शहर भर में निगरानी की जा रही है। कंट्रोल सेंटर में टैफिक पुलिस के शिफ्टी रहल यादव, सुभाष चंद्र और पंकज के साथ ही स्मार्ट सिटी का स्टाफ भी लगा हुआ था। घंटाघर, परेड, लाल इमली, बड़ा चौक, जरीब चौकी, श्यामनगर, नवेना चौक समेत कुछ चौकदारों की रिफ्लेक्टिंग भी सुरक्षित रखी गई है। वहीं, एयरस्टेट के कैमरों से नई सड़क, फोटोवार्ता, सिविल स्टैंड, बिकनगंज तक की इमारतों पर नजर रखी गई।



डोन कैमरा से नजर रखते सुरक्षा कर्मी • जागरण



सेंट्रल स्टेशन फुटओवर ब्रिज पर तैनात आरपीएफ का जवान • जागरण

इस्लामिक शिक्षण के बड़े सेंटर नदवा में रही शांति

■ एनबीटी, लखनऊ

अयोध्या फैसले के बाद इस्लामिक शिक्षण केंद्र दारुल उलूम नदवातुल उलेमा (नदवा कॉलेज) पूरी तरह से शांत दिखा। अमूमन, कॉलेज परिसर में दिखने वाली चहलकदमी पर शनिवार को खामोशी तारी रही। कॉलेज के मुख्य गेट से मस्जिद तक पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था। तालीबे इल्म (विद्यार्थी) हों या शिक्षक, सभी की निगाहें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अगले कदम पर रहीं। बोर्डों में शामिल लोग अपने जानने वालों से लोग फोन पर और दूसरे जरियों से संपर्क साधते रहे कि अयोध्या फैसले पर उनका अगला रुख क्या होगा। हालांकि, इस बीच कॉलेज परिसर में बनी भव्य मस्जिद में जोहर (दोपहर) की नमाज अदा करने बड़ी तादाद में नमाजी जुटे और इबादत में मशगूल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा दिन भर आम रही, पर नदवा के जिम्मेदारों ने फैसले का सम्मान तो किया पर बोर्ड के अगले कदम पर कुछ भी बोलने से बचते रहे।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुबरू

लखनऊ से लाइव



होने के लिए नवाबी नगरी समेत नदवा कॉलेज के तालीबे इल्म और शिक्षकों के चेहरों पर भी बेसब्री साफ झलकती रही। कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो नदवे के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी इसका सम्मान किया, पर उस जगह पर दोबारा मस्जिद निर्माण न होने की चेहरों पर एक टीस भी दिखी। फैसले पर नदवा के प्रधानाचार्य व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी ने इस मामले पर कुछ बोलने से मना कर दिया।


देशभर में शांति व सद्भाव कायम रहा

■ नई दिल्ली (एसएनबी/वाता)।

अयोध्या विवाद में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद शनिवार को देशभर में स्थिति सामान्य रही और इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तथा शांति एवं सौहार्द कायम रहा।

श्रीलंका अदालत के फैसले के मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा चौक चौबंद की गई थी और इस मामले के केन्द्र बिन्दु 'अयोध्या' को छानने में तब्दील कर दिया गया था जबकि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में ड्रोन से निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ भारत-नेपाल सीमा को भी सील कर दिया गया। राज्य में स्थिति सामान्य है और पुलिस अधिकारी संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में शांति है और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले सामने आए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 3008 पोस्ट हटाई गई हैं। अयोध्या मामले पर निर्णय आने की सूचना के बाद राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर 11 नवंबर तक के लिए



लखनऊ में गश्त लगाती पुलिस और आरएफ के जवान।

अयोध्या पर फैसले के बाद कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर 33 गिरफ्तार

बंद कर करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी सभी कक्षाएं, परीक्षाओं को रद्द कर दिया

गया। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या समेत राज्य में शांति है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शांति समिति की बैठक कर लोगों से सद्भाव एवं शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न सुरक्षा बलों की 150 से अधिक कंपनियां तैनात हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में घाटा 144 लागू है। प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदेश के 21 जिलों

को संवेदनशील घोषित किया गया है।

अलीगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अगले आदेश तक वहां इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। शहर में स्थिति सामान्य है। इसी तरह महारनपुर, मुजफ्फरनगर, पेरठ में भी अधिकारी गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने मार्च भी किया है।

गोरखपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल सीमा पर सशस्त्र सौमा बल (एसएसबी) के जवान और स्थानीय पुलिस की गश्त जारी है। उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद भारतीय क्षेत्र में फंसे नेपालियों को पैदल जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में लोगों को आने नहीं दिया गया। अभी भी सीमा सील है। दिनभर अधिकारी पुलिस बल के साथ सीमा क्षे का जायजा लेते रहे।

देश के कई दूसरे राज्यों में भी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गईं। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल-आज बंद रहे। झारखंड में घाटा-144 पहले ही लागू है। राजस्थान के भी सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। दिल्ली में आज सभी सरकारी स्कूल और कई निजी स्कूल भी बंद रहे।

फसल के बाद छावना में बदला अयोध्या

■ अयोध्या (एसएनबी)।

सुप्रीम कोर्ट के बाद अयोध्या पुलिस छावनी में बदल गई। सीसीटीवी से सुरक्षा के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, जबकि अभी कार्तीक पूर्णिमा स्नान 12 नवम्बर को होता है जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बढ़तलु अयोध्या पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिए तीन जोन में बंटे अयोध्या में अर्द्ध सैनिक बल, रीजिड पब्लिक फोर्स व पीएसओ के जवान के साथ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कमिश्नर मनोज मिश्र आईजी डी संजीव गुप्ता, डीएम अनुराज कुमार झा व एसएसपी आशीष तिवारी अयोध्या में सेटलान्ड हैं। डीएम व एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षा का हवाई सर्वे किया। मालूम हो कि अयोध्या में

**तीनों जोन में
पैरामिलिट्री फोर्स,
पीएसओ व पुलिसकर्मियों
की तैनाती**

सुरक्षा के लिए सौ कंपनो फोर्स लगाई गई है जिसमें 65 कंपनो पैरामिलिट्री फोर्स, 10 कंपनो पीएसओ, 12 कंपनो अरएफए शामिल हैं। इसके अलावा एएससी व डिप्टी एसपी को तैनात किया गया है।

मालूम हो कि वर्ष 2005 में हुए आतंकी हमले के बाद अयोध्या की सुरक्षा को तीन जोन में बांटा गया था। श्रीराम

जन्मभूमि अधिग्रहित क्षेत्र को रेड जोन, परिसर के क्षेत्र को यलो जोन और अयोध्या को ग्रीन जोन में रखा गया था विवादित परिसर के निकट रामकोट मोहल्ला सील

जन्मभूमि अधिग्रहित क्षेत्र को रेड जोन, परिसर के क्षेत्र को यलो जोन और अयोध्या को ग्रीन जोन में रखा गया था। आवश्यकता के मुताबिक हर बार इन्हीं जोन में अयोध्या की सुरक्षा में फोर्स लगाई जाती थी।

फैसले के बाद अयोध्या के ग्रीन जोन में पैरामिलिट्री फोर्स व पीएसओ के जवान की तैनाती की गई है। यलो जोन की

संवेदनशीलता को देखते हुए पहले से तैनात फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है।

एकल मार्ग श्रीरामजन्मभूमि दर्शन के लिए खोला गया है जो हरिद्वारी बाजार, हनुमानगढी से होकर श्रीराम जन्मभूमि तक पहुंच रहा है। श्रीराम जन्मभूमि दर्शन को आने वाले बढ़तलुओं को कड़ी तलाशी के बाद हरिद्वारी बाजार बैरियर से प्रवेश दिया जा रहा था। कदम-कदम पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रही। आला अफसर अयोध्या के साथ विवादित परिसर के आसपास हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। श्रीराम जन्मभूमि दर्शन को आने वाले बढ़तलुओं पर खूफिया एजेंसियां निगरान रखे हुए थीं, जिसकी रिपोर्ट आला अफसरों को भेजी जा रही थी।



Temple at disputed site, mosque within Ayodhya, rules SC

Centre told to set up trust to manage the property and build Ram temple ■ Sunni Central Waqf Board should be given a five-acre plot for mosque ■ Babri Masjid demolition was "an egregious violation of the rule of law" ■ All forms of belief, worship and prayer are equal, says Bench

KRISHNADAS RAJAGOPAL
NEW DELHI

A Constitutional Bench of the Supreme Court on Saturday permitted the construction of a temple at the site where the Babri Masjid once stood, and asked the government to allot a "prominent and suitable" five-acre plot for Muslims to construct a mosque in Ayodhya.

In a unanimous judgment, a Bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi asked the Centre, which had acquired the entire 67.73 acres of land including the 2.77 acres of the disputed Ramjanmabhoomi Babri Masjid premises in 1993, to formulate a scheme within three months and set up a trust to manage the property and construct a temple. For the time being, the possession of the disputed property would continue to vest with the Centre until a notification is issued by it investing the property in the trust.

Prominent place

The Bench also directed that the Sunni Central Waqf Board should be given a five-acre plot, either by the Centre from within its acquired area, or by the Uttar Pradesh government "at a suitable, prominent place in Ayodhya". The Board would

What the court said

■ Faith and belief of Hindus since prior to construction of mosque and subsequent events has always been that Janmasthan of Lord Ram is the place where Babri Mosque has been constructed which faith and belief is proved by documentary and oral evidence (from the affidavit written by one of the five judges)

■ On the balance of probabilities, there is clear evidence to indicate that the worship by the Hindus in the outer courtyard continued unimpeded in spite of the setting up of a grill-brick wall in 1967. This possession of the outer courtyard stands established together with the

be at liberty to construct a mosque there. This should be done simultaneously with the transfer of the property to the proposed trust.

The judges declared that the demolition of the 16th century Babri Masjid on December 6, 1992, was "an egregious violation of the rule of law" and "a calculated act of destroying a place of public worship". The Muslims have been wrong-



Out in force: Army men deployed to maintain law and order in Ayodhya on Saturday.

academy attached to their control over it.

■ The destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and possession given to this Court. The destruction

of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was an egregious violation of the rule of law.

■ The disputed site was government land in the revenue records. The fact that there

lay a temple beneath the destroyed structure has been established by the Archaeological Survey of India (ASI) and the underlying structure was not an Islamic structure.

deprived of a mosque which had been constructed well over 400 years ago, the Bench said.

The court referred to the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which prohibits the conversion of the status of any place of worship, to say that all religions are equal. "The Constitution does not make a distinction between the faith and belief of one religion and another. All forms of belief, worship and prayer are equal," Chief Justice Gogoi said, reading in

corps from the judgment for the Bench, comprising Justices J.A. Khehar, D.Y. Chandrachud, Abhijit Rehnabhai and J. Abdul Nasser.

The court concluded that the Muslims were ousted from the 1,300 square yards of the mosque through acts

of damage during communal riots in 1934, desecration in the intervening night of December 22-23, 1948 when idols were placed inside the mosque, and finally, the demolition of the mosque in 1992.

CONTINUED ON PAGE 12
STATES MUST PROTECT FREEDOM OF RELIGION - PAGE 11
A TEMPLE, A MOSQUE AND A DISPUTED PLACE - PAGE 11

Sunni Waqf Board not to seek review of judgment

Personal law board mulls challenge

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

The U.P. Sunni Central Waqf Board will not go in for a review of the Supreme Court verdict on the Ayodhya land dispute or file a curative petition, its chairman Zulfar Farooqui said.

"We are grateful to the honourable Supreme Court for setting aside as 'erroneous' the observation of one of the honourable judges in the Allahabad High Court (2010), which diluted the provision of the Places of Worship Act, 1991," Mr. Farooqui said.

"If any lawyer or any other person says that the decision will be challenged by the Board, it should not be taken as correct," he stressed.

Alkhara satisfied

The Nirmohi Akhara said it had no regrets over the Supreme Court ruling that it is not a "vestant" of the deity Ram Lala.

"We have no regrets on this because we were hearing the Ram Lala. The court has accepted Ram Lala's side and with this, our motive was

We are disappointed with certain findings of the Supreme Court. We respect the Supreme Court verdict and respectfully disagree with certain aspects of it.

SHAMSHUL HAQUE
NIRMOHJI AKHARA

The court has accepted Ram Lala's side and with this, our motive was fulfilled.

SHAMSHUL HAQUE
NIRMOHJI AKHARA

was fulfilled," Nirmohi Akhara member Shamsul Haque said PTI.

The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB), meanwhile, said the verdict "neither provided equity nor justice", and that it might consider filing a review petition after deliberating on the issue.

CONTINUED ON PAGE 10
REVENUE RIGHTS WITHIN STATE BOUNDARIES - PAGE 11

Ayodhya verdict: Peace prevails in city, neighbouring dists amid tight security

Dist Officials Take Out Route March

Times News Network

Kanpur: The industrial city and its neighbouring districts remained peaceful after the five-judge bench of the Supreme Court pronounced its judgment on the title in the Ramjanmaboom-Babri mosque dispute on Saturday morning.

Kanpur city and Kanpur Dehat as well as the neighbouring Auraiya, Jalaun, Unnao and Etawah districts that were deserted look in the morning, came alive in the evening. All apprehensions of violence and disturbances proved wrong and people of both the communities in the city have gracefully accepted the verdict.

Most of the shops and business establishments remained closed in the early hours of the day but after the pronouncement of the verdict, the traders ran the business as usual. Lesser number of city buses, auto-rickshaws, tempos and cycle rickshaws on roads caused inconvenience to the people. People were seen discussing the verdict at street corners. Heavy police force was deployed at all the sensitive points in the city.

Naem Mohammad, 70, expressed happiness over the judgment terming it as great and historic. He said the court by giving five acres of land to



Security arrangements were lightened in the city to maintain law & order in view of Ayodhya verdict on Saturday



the Muslims at a prominent place in Ayodhya had actually respected their religious sentiments. "Now Muslims of Ayodhya can construct a mosque according to their wish and can offer prayers without any hindrance while Hindus can offer puja at the birthplace of Lord Rama", he added.

A special prayer was organised at the premises of Madanrao Ali Shah Qudratia by Imam of Eidgah Haseeb Akhtar for peace and tranquillity in the city in the wake of the judgment. Welcoming the verdict, mahant of Panki Hanuman temple Jitendra Das said, "The apex court's verdict should be honored by both the communities".

District magistrate Vijay Vishwas Pant, SSP Anant Deo and ADG Prem Prakash met senior citizens and religious leaders of both communities and appealed to them to help

the administration in maintaining law and order in the city. Earlier, the district authorities had convened several meetings with members of the peace committees of the city and appealed to them to remain present in their respective areas and assure people about their safety. Senior police officials kept a vigil on the congested and busy areas around Parade crossing.

Political parties too appealed to the people to remain peaceful and maintain communal harmony. Surendra Maithani,

BJP MLA from Govind Nagar assembly seat, met people and asked them to help the administration in maintaining peace. "The verdict is neither a victory nor loss of any person or community but it will strengthen the 'Ganga-Jamuna' culture of our society", Maithani said.

"After the Supreme Court's judgment, the issue should be settled finally and amicably instead of dragging it further. The verdict has opened the door to the path of reconciliation," said SP MLA Irfan Solan-



ki. Meanwhile, the situation in Etawah was peaceful, though the administration had made foolproof security arrangement by deploying police, PAC and home guards across Naga Shahar, Takiya, Sobotganj, Nauranga Road etc to ward off any untoward incident.

A tense calm prevailed in Kanpur Dehat as most of the roads wore a deserted look. Most of the shops also remained closed. All schools and colleges remained shut as per the district administration's orders.

Victory, hate posts on social media kept under check

Abhinav Mishra @timesgroup.com

Kanpur: Following the warning of strict action by the police, the residents of the industrial city refrained from posting victory messages or greetings on the social media platforms after the announcement of the Ayodhya verdict.

Police were up on heels ensuring that no such messages are posted on social media, especially WhatsApp as they might disturb communal harmony and peace in the city. Fake posts and hate messages could not be circulated on WhatsApp, Facebook or Twitter as the police had warned the people of strict action on forwarding a post containing objectionable contents.

Also, the WhatsApp admins changed the settings, disallowing every group member to make a post. Only admins of thousands of such WhatsApp groups were in a position to post messages and they too refrained from doing so.

This helped counter the social media menace at a time when the police were app-

rehensive of misuse of this very platform. No untoward incident was reported from any part of the city and the situation remained peaceful.

"We had instructed thousands of WhatsApp groups to go in 'admin only' mode or else face the music in case hate posts are seen emanating from such groups after the Ayodhya verdict", said a senior police official. However, some people sent out 'Jai Shree Ram' messages on Facebook and WhatsApp on the historic verdict. But, there was no victory or hate messages sent on Facebook.

Police did not allow people to burst crackers or gather in groups or take out victory processions. Police, RAF and PAC cops even did not allow the distribution of sweets on this occasion. Everyone, including district administration officials, religious and political leaders and the general public had been asked to maintain peace and show a maturity that enabled the day to pass off peacefully.

Police, however, continued to remain alert across the city especially in areas having a mixed population.

Andhra Jyoti (TS)

www.andhrajyothy.com

ఆంధ్రజ్యోతి



చార్మినార్ వద్ద బందోబస్తులో
ఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది

చార్మినార్, నవంబర్ 9 (ఆంధ్రజ్యోతి) : అయోధ్య రామజన్మభూమి, బాబ్రీ మసీదు తీర్పు శనివారం వెలువడడంతో మొగల్ పురాలోని డీజేఎస్ కార్యాలయం వద్ద నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్న డీజేఎస్ ప్రతినిధులు ఎం.ఎ మాజిడ్, సలావుద్దీన్ అపాన్, మహ్మద్ ఉమర్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సుప్రీం తీర్పుపై నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారన్న సమాచారం అందుకొన్న టాన్స్, ఫోర్స్ డీసీపీ చక్రవర్తి, మీర్చాక్ ఏసీపీ ఆనంద్, మొగల్ పురా ఇన్స్పెక్టర్ రవికుమార్, దక్షిణ మండలం టాన్స్

ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ రామవేందర్, సిబ్బంది డీజేఎస్ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకొని వారిని అరెస్ట్ చేశారు.

మక్కామసీదులో ప్రశాంతంగా ప్రార్థనలు
అయోధ్యపై తీర్పువెలువడిన నేపథ్యంలో శనివారం మధ్యాహ్నం 1-30 గంటలకు మక్కామసీదులో ప్రార్థనలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. జోహార్ నమాజ్ ఆనంతరం ఏదైనా మఠనలు జరగవచ్చని దక్షిణ మండలం పోలీసులు చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలలో బారీ బందో

99BN RAF DURING DEPLOYED AT CHARMINAR

Andhra Jyoti (TS)



ఆసిఫ్ నగర్ లో ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహిస్తున్న దృశ్యం

99BN RAF DURING FLAG MARCH DUTY AT ASIFNAGAR

Photos of Deployment/ Fam-Ex Of RAF



सी०आर०पी०एफ० सदा अजेय, भारत माता की जय ।